राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 980/2012/सिरोही
अपील संख्या 981/2012/ सिरोही
ग्यासुद्दीन शेर मोहम्मद
जामा मस्जिद के पास, पैलेस रोड, सिरोही। अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त अपील्स पाली
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी सिरोही प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से
निर्णय दिनांकः 30.01.2017

निर्णय

यह दोनो अपीलें अपीलार्थी व्यवहारीं ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर, पाली (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 06.09.2011 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी पाली वर्तमान में (सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय सिरोही) (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2007–08 व 2008 –09 के कर निर्धारण पारित करने हेतु कई बार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद नियत तिथि पर कोई रेकार्ड/बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत नही किये तो आलोच्य अवधि में अनुमानित प्राप्तियॉ के आधार पर एक पक्षीय पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.01.2010 पारित करते हुए क्रमशः रू. 8,45,326/– व रू. 8,45,325/–की मांग सृजित की है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 15.01.2010 से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, अतः प्रकरण रि–ओपन करने हेतु अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को कालातीत मानते हुए पृथक–पृथक आदेश दिनांक 06.09.2011 पारित कर अपीलार्थी व्यवसायी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2011 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीले प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.01.2010 पारित करते हुए क्रमशः रू. 8,45,326/– व रू. 8,45,325/–की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु जारी नोटिस के समय व्यवहारी की माता जी एवं स्वयं ठेकेदार गम्भीर बीमारी के कारण लगातार अस्वस्थ रहे, जिसके कारण कर निर्धारण प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज इकट्ठा करके पेश नहीं कर सका और कर निर्धारण नहीं करवा सका। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष सामान्य चिकित्सालय,सिरोही के चिकित्स डा. वीरेन्द्र महात्मा,एम.डी.(जनरल मेडिसन) 15.01.2010 एवं 28.01.2011 का परामर्श पत्र भी प्रस्तुत किया है,जिसकी अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने विलम्ब को क्षम्य किये बिना ही आदेश पारित किये गये है, जो उचित नही हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीले स्वीकार कर प्रकरण रि–ओपन करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के कर निर्धारण पारित करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को कई नोटिस जारी किये गये किन्तु नोटिस तामीली के पश्चात भी ना तो उसकी ओर से कोई उपस्थित हुआ और ना ही उनका जवाब दिया गया है, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की गई है, जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से

ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत रि–ओपन करने हेतु प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण उन्हें अस्वीकार किया है।

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि कर निर्धारण हेतु नाटिस जारी करते समय व्यवहारी की माता जी एवं स्वयं ठेकेदार गम्भीर बीमारी के कारण लगातार अस्वस्थ रहे, जिसके कारण कर निर्धारण प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज इकट्ठा करके पेश नहीं कर सका और कर निर्धारण नहीं करवा सका, जिसके समर्थन में अपीलीय अधिकारी के समक्ष सामान्य चिकित्सालय,सिरोही के चिकित्स डा. वीरेन्द्र महात्मा,एम.डी.(जनरल मेडिसन) 15.01.2010 एवं 28.01.2011 का परामर्श पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को कालातीत मानते हुए खारिज किये हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत बहस एवं चिकित्सक चिकित्सा परामर्श पत्रों एवं ठेकेदार के स्वयं एवं उसकी माताजी की बीमारी को ध्यान में रखते हंए हुए न्याय हित में अपीलीय अधिकारी को समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों का क्षम्य करते हुए उस पर विचार कर गुणावगुण पर अपना निष्कर्ष देना चाहिए था।

प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय हित में अपालार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक और देना यह पीठ उचित समझती है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान कर न्याय संगत आदेश इस आदेश की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात तीस दिवस के भीतर मय रेकार्ड के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें ।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2011 एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 15.01.2010 को अपास्त करते हुए व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाते हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य